न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 42 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
घमंडाराम पुत्र रणछोड़ाराम व्यस्क जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. धर्माराम पुत्र रणछोडाराम व्यस्क 2. मोटाराम पुत्र सुराराम व्यस्क 3. ईशराराम पुत्र भावाराम व्यस्क 4. बगताराम पुत्र भावाराम व्यस्क 5. बुधाराम पुत्र भावाराम व्यस्क 6. मंगलाराम पुत्र भावाराम व्यस्क 7. अमियोदेवी पत्नी सताराम व्यस्क 8. भंवराराम पुत्र मेहराराम व्यरक 9. मोहनराम पुत्र मिसैराराम व्यस्क 10. सेजाराम पुत्र नींबाराम व्यस्क 11. हंजाराम पुत्र मिसराराम व्यस्क 12. कसूंबीदेवी पत्नी नींबाराम व्यस्क 13, गलबाराम पुत्र मेहराराम व्यस्क 14. टोमाराम पुत्र सताराम व्यस्क 15. ताराराम पुत्र मेहराराम व्यस्क 16. धूड़ीदेवी पत्नी मिसराराम व्यस्क 17. फतीदेवी पत्नी मेहराराम व्यस्क 18. फुसाराम पुत्र मिसराराम व्यस्क 19. बगदाराम पुत्र सताराम व्यस्क जातियान कुम्हार (प्रजापति) साकिन गालानाडी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 20. ग्राम पंचायत अरणियाली महेचान 21. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने [illegible])

उपस्थिति–

1. श्री अर्जुनराम प्रजापत, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी एकतरफा।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश

दिनांक 25.04.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.9789 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र चाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का [illegible] प्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सि[illegible] के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा [illegible] में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय [illegible]शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदा है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नही हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करते। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार क्षेत्र वाडो की ढाणी के ग्राम गालानाडी के खेत खसरा संख्या 213/2 रकबा 0.9789 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:17:18 IST
Reason: SelfAttested